# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
## जिला बस्तर–जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/क/रीडर/2020. जगदलपुर, दिनांक 20/07/2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (Covid 19) को एक संक्रामक बीमारी घोषित किया गया है । कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है । राज्य में भी बहुत तेजी से कोरोना वायरस के मामले के बढ़ने के दृष्टिगत छ0ग0 शासन द्वारा स्वास्थ्य के दृष्टिगत (Covid 19) के पीड़ित/संदेही से से संपर्क/दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने एवं कोविड–19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के परिपत्र कमांक 357/स.सा.प्र.वि/2020, नया रायपुर अटल नगर दिनांक 18.07.2020 के दिये गये निर्देशानुसार निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है, शेष शर्ते एवं निर्देश पूर्ववत रहेंगे ।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 40–3/2020–डी.एम.(ए) दिनांक 30 मई 2020 एवं छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक 288/स.सा.प्र.वि/2020 रायपुर दिनांक 31.5.2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रसाशन विभाग महानदी भवन नया रायपुर अटलनगर का पत्र कमांक 357/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 18.7.2020 में दिये गये निर्देश/गाईड लाईन/एडवायजरीके अनुक्रम में जगदलपुर निगम क्षेत्र में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रतिदिन प्रातः 6.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर घोषित कंटेन्मेंट/बफर जोन को छोड़कर सोशल डिसटेंन्सिंग /फिजीकल डिसटेंन्सिंग का पालन करते हुये (मास्क पहनने के निर्देश) की जा सकेगी ।

**1. परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियां जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र मे प्रतिबंधित/अनुमति रहेगीः–**

(1) जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान तथा यात्री/सिटी बस की सेवाएं पूर्णतः चालू रहेगी ।

(2) व्यक्तियों के अर्न्तराज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई–पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा ।

(3) व्यक्तियों के अर्न्तजिला परिवहन के बारे मे पूर्व निर्धारित प्रकिया अनुसार ई–पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा।

(4) सब्जी का विकय सशर्त (समय प्रातः 6.00 से शाम 5.00 बजे तक प्रतिदिन) की ही अनुमति होगी । किन्तु झुण्ड में नहीं रहेंगे।

(5) मिल्क पार्लर/दुध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त– प्रातः 6–00 से प्रातः 10.00 बजे तक रहेगा।

Scanned by CamScanner

(6) घर पर जाकर दुध बांटने वाले दुध विक्रेता एवं न्युज पेपर हाकर को प्रातः 6.00 से प्रातः 10.00 बजे तक ही अनुमति होगी ।

(7) सभी बार, रिसार्ट, डिस्कोथीक बंद रहेगे ।

(8) व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन छुट–चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियां ।

(9) सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोंचिग संस्थान इत्यादि बंद रहेगें परन्तु ऑन–लॉईन/डिस्टेंन्स लर्निंग की अनुमति होगी ।

(10) समस्त स्पोर्टस/कॉम्पलेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समूह में बैठकर या खड़े होकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा ।

(11) सार्वजनिक पार्क में फिजिकल डिसटेंन्सिंग का पालन करते हुए मॉस्क पहनना अनिवार्य रहेगा ।

(12) क्लॅब एवं बार का संचालन बंद रहेगा ।

(13) सभी सिनेमा हॉल, जीम, स्वीमिंग पूल, थियेटर तथा आडिटोरियम, सभा गृह और इस प्रकार के स्थान मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा ।

(14) सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों एवं अन्य सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा ।

(15) यथासंभव माल वाहनों से माल की लोंडिग/अॅन–लोडिंग/भीड़–भाड़ वाली गलियों व स्थलों पर न किया जावे । यदि ऐसे स्थलों पर अॅन–लोंडिग किया जाना हो तो, इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाये जब वहां भीड़–भाड़ न हो ।

(16) शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जगदलपुर से सत्यापन/अनुमति उपरान्त भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है । फिजिकल डिसटेंन्सिंग का पालन करना उद्योग प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी ।

उक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी । नगर निगम क्षेत्र जगदलपुर में आयुक्त नगर निगम एवं संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी/राजस्व अधिकारी समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें ।

**2/ व्यक्तियों की सुरक्षा एवं उनकी सुरक्षा के उपाय–**

1. दफ्तरों एवं कार्यालयों में (निजी/शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा एवं नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें ।

2. चार से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न जायें ।

3. जगह–जगह झूंड बनाकर एकत्रित न हो, सामूहिक रूप से चौक–चौराहों पर इकठ्ठा होकर बात–चीत करना प्रतिबंधित रहेगा ।

4. हॉटल/रेस्टोरेन्ट में सामूहिक रूप से भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा ।

5. पेट्रोल पम्प/रसाई गैस सेवाएं संचालित रहेगी ।

Scanned by CamScanner

6. मंडी पूर्व समयानुसार संचालित रहेगी ।

7. दवाई दुकाने 24 घंटे संचालित रहेगी ।

**3/ सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना–वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्ते–**

1. सार्वजनिक एवं कार्य स्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा ।

2. दुकान में एक समय में 05 से ज्यादा व्यक्तियों को इकठ्ठा होने न दिया जाये ।

3. सोशल डिसटेंन्सिग/फिजिकल डिसटेंन्सिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाये ।

4. दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईस किया जाये ।

5. दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक केता हाथ धोने के उपरान्त ही दुकान में प्रवेश करें ।

6. दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

7. दुकान परिसार एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा पान, गुटखा, तंबाकु इत्यादि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।

8. दुकान परिसर में 1–1 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिसटेंन्सिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये ।

9. work from home [WFH] को बढ़ावा दिया जाये ।

10. सम्पूर्ण कार्यस्थल सामान्य सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं को बार–बार सफाई सुनिश्चित की जावे ।

(11) विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा, तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

(12) अंतिम संस्कार/अन्त्योष्ठि जैसे आयोजनो में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा, तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

(13) समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चत हो, साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।

(14) समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरो/श्रमिकों के आने की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर से लेगा एवं जिले में आने के उपरान्त इसकी सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभा, स्वास्थ विभाग एवं श्रम विभाग को देगा, साथ ही साथ प्रवासी मजदूरो/श्रमिकों को शासन के दिशा–निर्देश का पालन करते हुये क्वारेंटाईन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

Scanned by CamScanner

(15) होम क्वारंटाईन का उल्लंघन पाये जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।

**दाण्डिक प्रावधान –**

उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा–निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेन्ट जोन में कदापि नही होगी।

जगदलपुर शहर को छोड़कर जिले में पूर्व में लगे प्रावधान लागू होंगे। उपरोक्त निर्देश दिनांक 23/07/2020 से दिनांक 30/07/2020 रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेंगे।

(रजत बंसल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक/क/रीडर/2020
जगदलपुर, दिनांक 20/07/2020

प्रतिलिपि :–

1/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।

2/ सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन भवन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।

3/ सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।

4/ सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।

5/ आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर।

6/ पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर संभाग
की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

7/ पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग, जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10/ आयुक्त, नगर पालिका निगम, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned by CamScanner

11/ सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12/ उप संचालक, जनसंपर्क, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/ सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14/ सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/ सर्व थाना प्रभारी, जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17/ समस्त प्रबंधक/संचालक, औद्योगिक संस्थान/कारखाने, जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी**
**जिला बस्तर, छत्तीसगढ़**

Scanned by CamScanner